प्रेस विज्ञप्ति

28.06.2025

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के तहत वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्ति को वापस करने की अनुमति दी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संपत्तियों को उनके असली मालिकों को लौटाने तथा उत्पादक संपत्तियों का उपयोग करने के लिए वित्तीय संस्थानों को ईडी द्वारा कुर्क या जब्त/सुरक्षित संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों के क्रम में, आईएलएंडएफएस मामले में ईडी द्वारा एक ठोस प्रयास किया गया। इस संबंध में ईडी द्वारा जारी एनओसी के बाद, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई द्वारा दिनांक 25.06.2025 के आदेश के तहत 952 करोड़ रुपये की संपत्ति सही दावेदार को लौटाई गई/वापस की गई।

ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने अपराध की आय (पीओसी) के सृजन और शोधन में उनकी संलिप्तता के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस), इसकी समूह कंपनियों और अन्य संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की।

जांच के दौरान, यह पता चला कि एबीजी की एक समूह कंपनी वडराज सीमेंट लिमिटेड (पूर्व में एबीजी सीमेंट लिमिटेड) ने आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, जिसे बाद में गैर-निष्पादित घोषित कर दिया गया था। जांच में पाया गया कि 952 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे और उन्हें पीओसी के रूप में पहचाना गया था। तदनुसार, वडराज सीमेंट लिमिटेड की अचल संपत्तियां, जिसमें सूरत सीमेंट प्लांट शामिल है, को ईडी द्वारा 21.01.2020 को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। कुर्की की पुष्टि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा 05.08.2021 को की गई थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत भी विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें पीओसी के रूप में कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने की प्रार्थना की गई थी।

पंजाब नेशनल बैंक वडराज सीमेंट लिमिटेड का प्रमुख ऋणदाता था, जिसका स्वीकृत दावा 2,122 करोड़ रुपये था। बंद हो चुकी सीमेंट कंपनी के अन्य प्रमुख ऋणदाताओं में यूनियन बैंक (1,620 करोड़ रुपये), इंडियन ओवरसीज बैंक (1,419 करोड़ रुपये), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (1,391 करोड़ रुपये) और जेसी फ्लावर एआरसी (677 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

इसके बाद, निरमा समूह की एक सहायक कंपनी और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत सफल समाधान आवेदक मेसर्स नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई द्वारा 01.04.2025 को अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए कुर्क की गई संपत्ति की बहाली की मांग की गई। नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वडराज सीमेंट लिमिटेड के अधिग्रहण के बदले अपने वित्तीय लेनदारों को 1,706 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। वास्तविक वैध दावेदारों को पीओसी को बहाल करने/बहाल करने के पीएमएलए के इरादे को ध्यान में रखते हुए, ईडी ने वास्तविक वैध दावेदारों से जुड़ी संपत्ति की रिहाई के लिए माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अनापत्ति प्रस्तुत की। ईडी के उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण के आधार पर, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 25.06.2025 को वास्तविक वैध दावेदारों को कुर्क की गई अचल संपत्तियों को वापस करने का आदेश पारित किया। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई ने पीएमएलए विशेष मामला संख्या 6/2019 में अपने आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया है और पीएमएलए की धारा 8(8) और 8(7) के तहत पीएमएल (संपत्ति की बहाली) नियम, 2016 के नियम 3ए के साथ नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कुर्क की गई संपत्ति को वापस करने का निर्देश दिया है।

माननीय न्यायालय ने आवेदक को भविष्य में निर्देशानुसार संपत्ति या उसके मूल्य को वापस करने या बहाल करने के लिए वचनबद्धता प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ईडी को भी निर्देश दिया है कि वह कब्ज़ा सौंपने से पहले संपत्ति की विस्तृत सूची तैयार करे। यह बहाली आदेश केवल मुंबई आंचलिक कार्यालय द्वारा की गई जांच से उत्पन्न 952 करोड़ रुपये की कुर्की से संबंधित है।

वैध दावेदार को संपत्ति वापस लौटाना ईडी के उन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीओसी को प्रभावित लोगों को वापस किया जाए। ईडी पीओसी का पता लगाने और उसे वापस पाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखे हुए है कि वैध तृतीय-पक्ष हितों को कानून और न्यायिक निर्देशों के अनुसार निपटाया जाए। ईडी वित्तीय अपराधों से निपटने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखता है।